[2018] 3 उम. नि. प. 306

गणपति और एक अन्य .

बनाम

तमिलनाडु राज्य

तथा

मुथुलक्ष्मी

बनाम

तमिलनाडु राज्य

27 मार्च, 2018

न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 1) – धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – नातेदार/हितबद्ध प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की ग्राह्यता – जहां अभियुक्तों द्वारा मृतकों पर चाकू और दरांती से आक्रमण करके नातेदार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की मौजूदगी में हत्या कारित की गई हो और इन साक्षियों के परिसाक्ष्य संगत और विश्वसनीय पाए गए हों तथा उनकी संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से हुई हो तथा अभियुक्तों की दोषिता युक्तियुक्त संदेह के परे साबित की गई हो, तो ऐसे साक्षियों को केवल हितबद्ध साक्षी कहकर उनके परिसाक्ष्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता है और उनके साक्ष्य के आधार पर की गई अभियुक्तों की दोषसिद्धि उचित और न्यायसंगत है ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि मुथुलक्ष्मी (अभियुक्त सं. 4-अपीलार्थी) के मुरुगन पुत्र आरमुगम (अभि. सा. 1) नामक व्यक्ति से प्रेम संबंध थे । जब उक्त मुरुगन ने उसके साथ विवाह करने से इंकार कर दिया तो पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज की गई और ग्रामवासियों तथा पुलिस के मध्यक्षेप से उनका विवाह अनुष्ठापित हुआ । जब उनका विवाह हुआ था, तभी से दोनों परिवारों के बीच प्रायः झगड़ा होता रहता था और अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से पति-पत्नी और दोनों परिवारों के बीच तनातनी के संबंध थे । मुथुलक्ष्मी (अभियुक्त-4) के पिता ने तो अपने दामाद मुरुगन, उसके पिता (अभि. सा. 1) और बहिन (पूमरी) के विरुद्ध

एक शिकायत भी दर्ज की थी क्योंकि बहिन को पति-पत्नी के बीच सारी अशांति की जड़ ठहराया गया था । पुलिस ने पति-पत्नी को बुलाया और उन्हें शांतिपूर्वक एकसाथ रहने की सलाह दी, किंतु कुछ दिनों के पश्चात् मुथुलक्ष्मी (अभि.-4) दांपत्य निवास से निकल कर अपने माता-पिता के घर वापस आ गई । पोनू (अभि.-1), गणपति (अभि.-2) और चित्रावेलु (अभि.-3) आक्रामक आयुधों से लैस होकर निकले और एक स्ट्रीट होटल के निकट मुरुगन को देखा और उस पर आक्रमण कर दिया और उसे चाकू और दंराती से क्षतियां कारित कीं, जिनकी वजह से उसकी तुरंत घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । मृतक के पिता (अभि. सा. 1) और उसके एक अन्य पुत्र (अभि. सा. 2) ने, जो निकट ही खड़े थे, घटना देखी थी । इतना सब होने के बाद उसी दिन जब पूमरी (अभि. सा. 1 की पुत्री) अपनी पुत्री (अभि. सा. 3) के साथ कपड़े धोने और स्नान करने के लिए एक निकटवर्ती कुएं पर गई हुई थी, तब चारों अभियुक्त वहां आए और पूमरी पर उसकी पुत्री के सामने आक्रमण कर दिया । चित्रावेलु (अभि.-3) ने दरांती से पूमरी को काटने की क्षतियां कारित कीं और गणपति (अभि.-2) ने उसके उदर पर तीन बार चाकू घोंपा, जिससे उसकी आंत उसके उदर से बाहर आ गई । उसके पश्चात् चित्रावेलु (अभि.-3) ने दरांती मुथुलक्ष्मी (अभि.-4) को दी और उसे पूमरी पर आक्रमण करने के लिए उकसाया और फिर मुथुलक्ष्मी ने उसके सिर, हाथ और चेहरे पर नाक के निकट दरांती से काटने की क्षतियां पहुंचाई और पूमरी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । पूमरी की पुत्री ने, जो घटनास्थल पर मौजूद थी, इस अपराध को देखा था । अभि. सा. 1 की शिकायत के आधार पर पुलिस थाने में अभियुक्तों के विरुद्ध आपराधिक मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया और अन्वेषण किया गया । अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनसे वे आयुध अभिगृहीत किए गए जो अपराध कारित करने में प्रयुक्त किए गए थे और उन्हें रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया । आरोप पत्र फाइल किया गया उसके पश्चात् मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथन अभिलिखित किए गए । अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण न्यायालय ने पूरी तरह से विचारण करने के पश्चात् अभियुक्तों को दोषी पाया और अभियुक्त पोन्नू (अभि.-1) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया और जुर्माने सहित आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया ।

गणपति (अभि.-2) और चित्रावेलू (अभि.-3) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन जुर्माने सहित आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । मुथुलक्ष्मी (अभि.-4) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन जुर्माने सहित आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । अभियुक्तों ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 1 के विरुद्ध दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त कर दिया और अभियुक्त सं. 2 से 4 के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दोषिसिद्धि और दंडादेश की अभिपुष्टि की । अभियुक्त-अपीलार्थियों ने निचले न्यायालयों के निर्णयों से असंतुष्ट होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अभि. सा. 1 और 2, जो मृतक का पिता और भाई है, के साक्ष्य से स्पष्ट रुप से वह रीति प्रदर्शित होती है जिस रीति में अभियुक्तों ने मृतक मुरुगन के जीवन का अंत किया था । उनके साक्ष्य में अभियुक्तों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे वर्णित किया गया है और इसकी संपुष्टि डा. धनराज (अभि. सा. 12) के उस चिकित्सीय साक्ष्य से होती है, जिन्होंने मृतक मुरुगन के शव की मरणोत्तर परीक्षा की थी और कुल 10 काटने वाली क्षतियों का उल्लेख किया था, जिनमें से क्षति सं. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 घातक हैं और जिन्हें दरांती द्वारा कारित करना संभव था और मृत्यु कारित करने के लिए समर्थ थीं, जबकि क्षति सं. 7 और 9 को चाकू द्वारा कारित करना संभव था । यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रयोजित किए गए 2 स्वतंत्र साक्षी (अभि. सा. 5 और 6) थे किंतु वे पक्षद्रोही हो गए थे । कई मामलों में घटना के समय केवल परिवार के सदस्य ही मौजूद होते हैं, तब अभियोजन का पक्षकथन केवल उनके साक्ष्य पर आधारित होगा । जब केवल उनका साक्ष्य ही उपलब्ध साक्ष्य हो, तब न्यायालयों को सतर्क रहना चाहिए और विचारण की प्रक्रिया में साक्ष्य का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और यह न्यायालय अभियुक्तों की ओर से दी गई इस दलील का समर्थन नहीं कर सकता है कि स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न कराना और परिवार के सदस्यों के साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक है । "नातेदार" और "हितबद्ध" समानार्थी नहीं हैं । किसी साक्षी को "हितबद्ध" केवल तब कहा जा सकता है जब वह किसी मुकदमेबाजी, किसी सिविल मामले में डिक्री के परिणामस्वरूप कोई फायदा प्राप्त करता है या

करती है, या किसी अभियुक्त व्यक्ति को दंडित होते हुए देखना चाहता है । कोई साक्षी, जो स्वाभाविक है और मामले की परिस्थितियों में एकमात्र संभव प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, उसे "हितबद्ध" नहीं कहा जा सकता है । केवल इस कारण कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी परिवार के सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को स्वतः त्यक्त नहीं किया जा सकता है । जब हितबद्धता का अभिकथन किया गया है, तो उसे सिद्ध किया जाना चाहिए था । केवल यह कथन कि साक्षी मृतक के नातेदार होने के कारण उनके द्वारा अभियुक्तों को मिथ्या रूप से फंसाने की संभावना है, उनके उस साक्ष्य को त्यक्त करने का आधार नहीं हो सकता है जो कि अन्यथा तर्कपूर्ण और विश्वसनीय है । नातेदारी किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाली बात नहीं है । प्रायः यह कहा जाता है कि कोई नातेदार वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन नहीं करेगा । यदि मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया जाता है तो उसका आधार भी दिया जाना चाहिए । न्यायालय ने अभिलेख से यह पाया है कि अभि. सा. 1 और 2 के साक्ष्य संगत हैं और न्यायालय के मन में विश्वास प्रेरित करते हैं । निचले न्यायालयों ने भी उनके साक्ष्यों को विचार में लेने से पूर्व उनकी उचित रूप से संवीक्षा की है और उनके परिसाक्ष्यों पर विश्वास करने में कुछ भी अप्रायिक नहीं है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष ने स्वतंत्र साक्षी, अभि. सा. 5 और 6, की परीक्षा की थी जो पक्षद्रोही हो गए थे । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को सिद्ध करने के लिए सभी संभव उपाय किए हैं । इसलिए अभि. सा. 1 और 2 के साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं है । इसी प्रकार, शकुंतला (अभि. सा. 3) के साक्ष्य में अभियुक्त सं. 2, 3 और 4 द्वारा निभाई गई भूमिका को स्पष्ट करते हुए जिस परिस्थिति में और जिस तरीके से अभियुक्तों द्वारा मृतका पूमरी पर आक्रमण किया गया था उसका विशद वर्णन किया गया है । उसका साक्ष्य विश्वासप्रद है और इसकी स्पष्ट रूप से चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्टि होती है । मृतका पूमरी की मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि मृतका के शरीर पर 3 घोंपने वाली क्षतियों के अतिरिक्त लगभग 10 काटने वाली क्षतियां थीं । अभि. सा. 12 डा. धनराज के अनुसार काटने वाली क्षतियां दरांती द्वारा कारित करना संभव था और घोंपने वाली क्षतियां संभवतः चाकू द्वारा कारित की गईं थी । उन क्षतियों में से क्षति सं. 1, 10 11, 12 और 13 गंभीर हैं और तुरंत मृत्यु कारित करने योग्य हैं । अभियुक्तों की ओर से विद्वान् काउंसेल का यह तर्क कि निचले न्यायालयों ने प्रति. सा. 1 के साक्ष्य पर विश्वास न

करके गलती की है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसका कारण यह है कि अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि उस विद्यालय के हाजिरी रजिस्टर में, जिसमें अभि. सा. 3 पढ़ रही थी, सभी विद्यार्थियों की सात माह अर्थात् जून, 1999 से दिसंबर, 1999 तक की लगातार अवधि की हाजिरी लगाई गई है और उसमें एक भी विद्यार्थी गैर-हाजिर नहीं है । इस प्रकार, यह बात इस तथ्य का सूचक है कि इस बात को विचार में लाए बिना कि विद्यार्थी विद्यालय में हाजिर हुए हैं या नहीं, सभी विद्यार्थियों की हाजिरी लगाई गई है । इन परिस्थितियों में, न तो प्रति. सा. 1 के साक्ष्य से और न ही प्रदर्श डी1 से अभियुक्तों का बचाव होता है और इस आधार पर अभि. सा. 3 के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है । (पैरा 12, 13, 14, 15, 16 और 17)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2008] (2008) 16 एस. सी. सी. 529 :
मरांडु और एक अन्य बनाम
पुलिस निरीक्षक की मार्फत तमिलनाडु राज्य ; 14

[1981] (1981) 2 एस. सी. सी. 752 :
राजस्थान राज्य बनाम **श्रीमती कल्की और एक अन्य** । 13

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 1312 और इसके साथ 2008 की दांडिक अपील सं. 1313.

2004 की दांडिक अपील (एमडी) सं. 319 में मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरै पीठ के तारीख 20 फरवरी, 2007 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री शेख मोहम्मद हनीफ, एम. विजय भास्कर और (सुश्री) प्रोमिला

प्रत्यर्थी की ओर से श्री योगेश कन्ना और सुश्री सुजाता बागधी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन. वी. रमना ने दिया ।

न्या. रमना – ये अपीलें विशेष इजाजत याचिकाओं द्वारा 2004 की

दांडिक अपील सं. 319 में मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरै पीठ की खंड पीठ द्वारा तारीख 20 फरवरी, 2007 को पारित किए गए निर्णय से उद्भूत हुई हैं । उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय द्वारा इस अपील में अपीलार्थियों के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की, जबकि अभियुक्त सं. 1 को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया । 2008 की दांडिक अपील सं. 1312 अभियुक्त सं. 2 और 3 द्वारा फाइल की गई है और 2008 की दांडिक अपील सं. 1313 में अपीलार्थी अभियुक्त सं. 4 है । क्योंकि दोनों अपीलों में आक्षेपित आदेश एक ही और एक समान है, इसलिए हम दोनों अपीलों का एक सामान्य आदेश द्वारा निपटारा करेंगे ।

2. संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन यह है कि मुथुलक्ष्मी (अभियुक्त सं. 4-अपीलार्थी) के मुरुगन पुत्र आरमुगम-अभि. सा. 1 नामक व्यक्ति से प्रेम संबंध थे । जब उक्त मुरुगन ने उसके साथ विवाह करने से इंकार कर दिया तो कोविलपट्टी पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज की गई और ग्रामवासियों तथा पुलिस के मध्यक्षेप से तारीख 5 फरवरी, 1999 को उनका विवाह अनुष्ठापित हुआ । जब उनका विवाह हुआ था, तभी से दोनों परिवारों के बीच प्रायः झगड़ा होता रहता था और अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से पति-पत्नी के बीच तनातनी के संबंध थे । अभियुक्त-4 के पिता पेटचिमुथु ने तो अपने दामाद मुरुगन, उसके पिता (अभि. सा. 1) और बहिन (पूमरी) के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज की थी क्योंकि बहिन को पति-पत्नी के बीच सारी अशांति की जड़ ठहराया गया था । पुलिस ने पति-पत्नी को बुलाया था और उन्हें शांतिपूर्वक एक साथ रहने की सलाह दी थी, किंतु कुछ दिनों के पश्चात् मुथुलक्ष्मी (अभि. 4) दांपत्य निवास से निकल कर अपने माता-पिता के घर वापस आ गई ।

3. तारीख 4 अगस्त, 1999 को पोनू (अभि. 1), गणपति (अभि. 2) और चित्रावेलु (अभि.-3) आक्रामक आयुध लेकर निकले और एक स्ट्रीट होटल के निकट मुरुगन को देखा तथा उस पर आक्रमण कर दिया । पोनू (अभि.-1) ने अन्य दो अभियुक्तों को मुरुगन को काट देने के लिए उकसाया, गणपति (अभि.-2) ने मुरुगन के वक्ष पर चाकू घोंपा और चित्रावेलु (अभि.-3) ने मुरुगन को दरांती से काटने की क्षतियां पहुंचाईं, जिनकी वजह से उसकी तुरंत घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । इसके पश्चात् हमलावर घटनास्थल से भाग गए । मृतक के पिता अभि. सा. 1

(आरमुगम) और अभि. सा. 2 (पूमुरुगन–आरमुगम का एक अन्य पुत्र) ने, जो निकट ही खड़े थे, घटना देखी थी ।

4. जब यह सब हो गया, तो उसी दिन जब पूमरी (आरमुगम-अभि. सा. 1 की पुत्री) अपनी पुत्री शकुंतला (अभि. सा. 3) के साथ कपड़े धोने और स्नान करने के लिए एक निकटवर्ती कुएं पर गई थी, तब चारों अभियुक्त वहां आए और पूमरी पर उसकी पुत्री के सामने आक्रमण कर दिया । चित्रावेलु (अभि. 3) ने दरांती से पूमरी को काटने की क्षतियां कारित कीं और गणपति (अभि.-2) ने उसके उदर पर तीन बार चाकू घोंपा, जिससे उसकी आंत उसके उदर से बाहर आ गई । उसके पश्चात् चित्रावेलु (अभि.-3) ने दरांती मुथुलक्ष्मी (अभि. 4) को दी और उसे पूमरी पर आक्रमण करने के लिए उकसाया और फिर मुथुलक्ष्मी ने उसके सिर, हाथ और चेहरे पर नाक के निकट दरांती से काटने की क्षतियां पहुंचाई और पूमरी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । पूमरी की पुत्री, दस वर्ष की विद्यालय में पढ़ने वाली बालिका, जो घटनास्थल पर मौजूद थी, ने इस अपराध को देखा था ।

5. अभि. सा. 1 की शिकायत (प्रदर्श पी 1) के आधार पर पुलिस थाना, ओट्टापिडरम में अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन 1999 का अपराध मामला सं. 72 रजिस्ट्रीकृत किया गया और अन्वेषण किया गया । अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया, मृत्यु-समीक्षा (प्रदर्श पी 31) की, संप्रेक्षण महाजर (प्रदर्श पी 2 और पी 3) तैयार किए और मृत्यु-स्थलों के खाके (प्रदर्श पी 27 और पी 29) बनाए, रक्तरंजित मिट्टी और सादा मिट्टी बरामद की, साक्षियों की मौजूदगी में घटनास्थल से बालों में लगाने वाली क्लिप, मंगलसूत्र और अपराध में आलिप्त करने वाली अन्य वस्तुएं उठाईं और उनके हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए गए । साक्षियों के कथन अभिलिखित करने और मृतकों के शवों को मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजने जैसी अन्य औपचारिकताएं पूरी की गई । अभियुक्तों को ओट्टापिडरम चौराहे पर स्थित वेल्यूथापुरम जंक्शन से तारीख 5 अगस्त, 1999 को 5:30 बजे पूर्वाह्न में गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने उनसे वे आयुध अभिगृहीत किए जो अपराध करने में प्रयुक्त किए गए थे और उन्हें रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा । उसके पश्चात् मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथन अभिलिखित किए गए ।

अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

6. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को सिद्ध करने के लिए कुल 21 साक्षियों का अवलंब लिया और प्रदर्श पी1 से पी31 चिह्नित किए तथा अभिलेख पर 27 तात्विक वस्तुएं थी । प्रतिरक्षा पक्ष की तरफ से साक्षी के रूप में विद्यालय के एक मुख्य अध्यापक की परीक्षा की गई और प्रदर्श डी 1 चिह्नित किया गया । विचारण न्यायालय ने पूर्ण रूप से विचारण करने के पश्चात् अभियुक्तों को दोषी पाया और अभियुक्त पोन्नू (अभि. 1) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया और आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया तथा 500/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । गणपति (अभि.-2) और चित्रावेलु (अभि.-3) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन (दो आरोपों के लिए) आजीवन कारावास और 1,000/- रुपए के जुर्माने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । तथापि, प्रत्येक आरोप के लिए दिए गए दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया । मुथुलक्ष्मी (अभि.-4) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास भुगतने के साथ-साथ 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का दंडादेश दिया ।

7. अभियुक्तों ने व्यथित होकर अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय में समावेदन किया । उच्च न्यायालय ने इस अपील में आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त सं. 1 के विरुद्ध दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त कर दिया और अभियुक्त सं. 2 से 4 के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दोषिसिद्धि और दंडादेश की अभिपुष्टि की । अपीलार्थी निचले न्यायालयों के निर्णयों से असंतुष्ट होकर हमारे समक्ष आए हैं । क्योंकि राज्य ने अभियुक्त सं. 1 की दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की है, इसलिए हमारा सरोकार केवल दोषसिद्धि से उद्भूत हुई अपीलों से है ।

8. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख पर की सम्पूर्ण सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार किया ।

9. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा

दिए गए विवादग्रस्त तर्क यह हैं कि निचले न्यायालयों ने अभि. सा. 1 और 2 के साक्ष्य को असम्यक् महत्व देकर गलती की है, जो कि हितबद्ध साक्षी हैं क्योंकि वे क्रमशः मृतकों के पिता और भाई हैं और उनकी अभियुक्तों के साथ दुश्मनी है । उच्च न्यायालय ने यद्यपि अभियुक्त सं. 1 के विरुद्ध उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय पाया था, फिर भी अभियुक्त सं. 2 और 3 (अपीलार्थी) की दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखने के लिए उनके साक्ष्य का अवलंब लिया । अभियोजन के पक्षकथन पर केवल इस कारण से ही विश्वास नहीं किया जा सकता है कि मृतक मुरुगन से संबंधित अधिकथित घटना एक होटल पर घटित हुई थी जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, किंतु घटना का कोई स्वंतत्र साक्षी नहीं है । अभियुक्त सं. 4, मृतक मुरुगन की पत्नी के मामले के संबंध में विद्वान् काउंसेल ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि निचले न्यायालयों ने मृतका पूमरी की दस वर्षीय पुत्री-अभि. सा. 3 के साक्ष्य को महत्व देकर जबकि पोनराज (प्रति. सा. 1), जो उस विद्यालय का मुख्याध्यापक है जहां अभि. सा. 3 पढ़ रही थी, के साक्ष्य पर अविश्वास करके गंभीर गलती की है, जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यह बालिका घटना के समय विद्यालय में मौजूद थी और उसने अपने दावे का समर्थन विद्यालय के हाजिरी रजिस्टर, प्रदर्श डी-1 से किया था, जिसमें स्पष्ट रुप से यह दिखाया गया है कि यह विद्यार्थी विद्यालय में मौजूद थी ।

10. तथापि, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने अभियुक्त सं. 2 से 4 (अपीलार्थी) के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दोषसिद्धि और दंडादेश की अभिपुष्टि करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया है ।

11. संबंधित विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् हमने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभिलेख पर की सामग्री का परिशीलन किया है । इस तथ्य से इंकार नहीं किया गया है कि मृतक मुरुगन और अभियुक्त-मुथुलक्ष्मी के बीच विवाह सौहार्दपूर्ण वातावरण में नहीं हुआ था और पति-पत्नी के साथ-साथ उनके परिवारों के बीच भी तनातनी के संबंध थे । अभियुक्त सं. 4 अपने विवाह के लगभग एक माह पश्चात् अपने दांपत्य गृह से निकल आई थी और इस तथ्य के कारण अन्य अभियुक्त व्यक्तियों (अभि.-4 के भाइयों) को मुरुगन तथा उसकी बहिन-पूमरी से, जो अभिकथित रूप से पति-पत्नी के बीच विवाद की जड़ थी, ईर्ष्या हो गई थी । इस प्रकार, अभियुक्तों द्वारा

अपराध कारित करने का हेतु पूरी तरह से स्पष्ट है क्योंकि घटना से पहले दिन भी पक्षकार पुलिस थाने में मिले थे और अभियुक्तों की विपदग्रस्त व्यक्तियों के साथ गर्मागरम बहस हुई थी और मुरुगन और उसकी बहन पूमरी को समाप्त कर देने की चुनौती दी थी ।

12. प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अभि. सा. 1 और 2, जो मृतक का पिता और भाई है, के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से वह रीति प्रदर्शित होती है जिस रीति में अभियुक्तों ने मृतक मुरुगन के जीवन का अंत किया था । उनके साक्ष्य में अभियुक्तों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे वर्णित किया गया है और इसकी संपुष्टि डा. धनराज (अभि. सा. 12) के उस चिकित्सीय साक्ष्य से होती है, जिन्होंने मृतक मुरुगन के शव की मरणोत्तर परीक्षा की थी और कुल दस काटने वाली क्षतियों का उल्लेख किया था, जिनमें से क्षति सं. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 घातक हैं और जिन्हें दरांती द्वारा कारित करना संभव था और मृत्यु कारित करने के लिए समर्थ थीं, जबकि क्षति सं. 7 और 9 को चाकू द्वारा कारित करना संभव था । यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रयोजित किए गए दो स्वतंत्र साक्षी (अभि. सा. 5 और 6) थे किंतु वे पक्षद्रोही हो गए थे । कई मामलों में घटना के समय केवल परिवार के सदस्य ही मौजूद होते हैं, तब अभियोजन का पक्षकथन केवल उनके साक्ष्य पर आधारित होगा । जब केवल उनका साक्ष्य ही उपलब्ध साक्ष्य हो, तब न्यायालयों को सतर्क रहना चाहिए और विचारण की प्रक्रिया में साक्ष्य का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और हम अभियुक्तों की ओर से दी गई इस दलील का समर्थन नहीं कर सकते हैं कि स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न कराना और परिवार के सदस्यों के साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक है ।

13. "नातेदार" और "हितबद्ध" समानार्थी नहीं हैं । किसी साक्षी को "हितबद्ध" केवल तब कहा जा सकता है जब वह किसी मुकदमेबाजी, किसी सिविल मामले में डिक्री के परिणामस्वरूप कोई फायदा प्राप्त करता है या करती है, या किसी अभियुक्त व्यक्ति को दंडित होते हुए देखना चाहता है । कोई साक्षी, जो स्वाभाविक है और मामले की परिस्थितियों में एकमात्र संभव प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, उसे "हितबद्ध" नहीं कहा जा सकता है (**राजस्थान राज्य** बनाम **श्रीमती कल्की और एक अन्य**[1] वाला मामला देखें) ।

---

[1] (1981) 2 एस. सी. सी. 752.

14. केवल इस कारण कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी परिवार के सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को स्वतः त्यक्त नहीं किया जा सकता है । जब हितबद्धता का अभिकथन किया गया है, तो उसे सिद्ध किया जाना चाहिए था । केवल यह कथन कि साक्षी मृतक के नातेदार होने के कारण उनके द्वारा अभियुक्तों को मिथ्या रूप से फंसाने की संभावना है, उनके उस साक्ष्य को त्यक्त करने का आधार नहीं हो सकता है जो कि अन्यथा तर्कपूर्ण और विश्वसनीय है । नातेदारी किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाली बात नहीं है । प्रायः यह कहा जाता है कि कोई नातेदार वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन नहीं करेगा । यदि मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया जाता है तो उसका आधार भी दिया जाना चाहिए (**मरांडु और एक अन्य** बनाम **पुलिस निरीक्षक की मार्फत तमिलनाडु राज्य**[1] वाला मामला देखें) ।

15. प्रस्तुत मामले में, अभि. सा. 1 और 2, यद्यपि मृतकों के पिता और भाई हैं, स्वाभाविक साक्षी हैं और परिवार के सदस्यों या अन्य व्यक्ति की साक्षियों के रूप में परीक्षा करने के लिए विधि में कोई वर्जना नहीं है । उनके परिसाक्ष्यों में अभियुक्तों द्वारा मृतकों पर किए गए हमले का स्पष्ट वर्णन किया गया है । हमने अभिलेख से यह पाया है कि अभि. सा. 1 और 2 के साक्ष्य संगत हैं और न्यायालय के मन में विश्वास प्रेरित करते हैं । निचले न्यायालयों ने भी उनके साक्ष्यों को विचार में लेने से पूर्व उनकी उचित रूप से संवीक्षा की है और उनके परिसाक्ष्यों पर विश्वास करने में कुछ भी अप्रायिक नहीं है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष ने स्वतंत्र साक्षी, अभि. सा. 5 और 6, की परीक्षा की थी जो पक्षद्रोही हो गए थे । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को सिद्ध करने के लिए सभी संभव उपाय किए हैं । इसलिए अभि. सा. 1 और 2 के साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं है ।

16. इसी प्रकार, शकुंतला (अभि. सा. 3) के साक्ष्य में अभियुक्त सं. 2, 3 और 4 द्वारा निभाई गई भूमिका को स्पष्ट करते हुए जिस परिस्थिति में और जिस तरीके से अभियुक्तों द्वारा मृतका पूमरी पर आक्रमण किया गया था उसका विशद वर्णन किया गया है । उसका साक्ष्य विश्वासप्रद है और इसकी स्पष्ट रूप से चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्टि

---

[1] (2008) 16 एस. सी. सी. 529.

होती है । मृतका पूमरी की मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी 16) से यह दर्शित होता है कि मृतका के शरीर पर तीन घोंपने वाली क्षतियों के अतिरिक्त लगभग 10 काटने वाली क्षतियां थीं । अभि. सा. 12 डा. धनराज के अनुसार काटने वाली क्षतियां दरांती द्वारा कारित करना संभव था और घोंपने वाली क्षतियां संभवतः चाकू द्वारा कारित की गईं थीं । उन क्षतियों में से क्षति सं. 1, 10, 11, 12 और 13 गंभीर हैं और तुरंत मृत्यु कारित करने योग्य हैं ।

17. अभियुक्तों की ओर से विद्वान् काउंसेल का यह तर्क कि निचले न्यायालयों ने प्रति. सा. 1 के साक्ष्य पर विश्वास न करके गलती की है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसका कारण यह है कि अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि उस विद्यालय के हाजिरी रजिस्टर में, जिसमें अभि. सा. 3 पढ़ रही थी, सभी विद्यार्थियों की सात माह अर्थात् जून, 1999 से दिसंबर, 1999 तक की लगातार अवधि की हाजिरी लगाई गई है और उसमें एक भी विद्यार्थी गैर-हाजिर नहीं है । इस प्रकार, यह बात इस तथ्य का सूचक है कि इस बात को विचार में लाए बिना कि विद्यार्थी विद्यालय में हाजिर हुए हैं या नहीं, सभी विद्यार्थियों की हाजिरी लगाई गई है । इन परिस्थितियों में, न तो प्रति. सा. 1 के साक्ष्य से और न ही प्रदर्श डी 1 से अभियुक्तों का बचाव होता है और इस आधार पर अभि. सा. 3 के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है ।

18. हमारे द्वारा परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करने पर, हम उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषसिद्ध करने के लिए अपनाए गए मत में कोई त्रुटि नहीं पा सकते हैं, जिनकी दोषिता युक्तियुक्त संदेह के परे साबित की गई है । सभी पूर्वगामी कारणों से, हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय में साक्ष्य का मूल्यांकन करने या विधि संबंधी कोई गलती नहीं है । अतः, हम आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं हैं । इसलिए, ये अपीलें खारिज की जाती हैं ।

अपीलें खारिज की गईं ।

जस.